न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारी– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 07/2018

अनवान :–

श्री विनोद कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त(खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर

प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री सुखदेव पुत्र रामेश्वर जाट (खाद्य कारोबारकर्ता) मैसर्स हरी मावा भण्डार, पुरानी गजनेर रोड़, (आशा आईसक्रीम केण्डी एण्ड कोल्ड स्टोर), कमला कॉलोनी गजनेर रोड़, बीकानेर
2. श्री हरीकिशन पुत्र सुगनराम, प्रोपराईटर मैसर्स हरी मावा भण्डार, पुरानी गजनेर रोड़,बीकानेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
2. अप्रार्थीगण – अनुपस्थित

–: निर्णय :– दिनांक :–14.01.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री विनोद कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त(खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 29.09.2017 को अप्रार्थीपक्ष सुखदेव पुत्र रामेश्वर जाट (खाद्य कारोबारकर्ता) मैसर्स हरी मावा भण्डार, पुरानी गजनेर रोड़, (आशा आईसक्रीम केण्डी एण्ड कोल्ड स्टोर), कमला कॉलोनी गजनेर रोड़, बीकानेर श्री हरीकिशन पुत्र सुगनराम, (मालिक प्रोपराईटर) के यहां निरीक्षण के दौरान आम जनता के विक्रय हेतु गोदाम के कोल्ड स्टोर पर लौहे के 8 पीपों में प्रत्येक में लगभग 18 किलाग्राम मावा रखा हुआ मिला, जिसके अमानक का शक होने पर खाद्य कारोबारकर्ता को सूचित करते गवाहान की उपस्थिति में 1 पीपे में से 1 किलो ग्राम मावा एक साफ, सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में वास्ते नमूना जांच खरीदा। जिसकी कीमत खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक को 170/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान् के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तदन्तर उक्त खरीदशुदा 1 किलो ग्राम मावा को मैश करते हुए एकरूप कर चार साफ, सूखी एवं खाली कांच की बोतलों में बराबर–बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 20–20 फॉर्मेलीन की डालकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन लगाकर एयर टाईट बन्द किया तथा चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर स्टेट डी.ओ. जयपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ईई–1330 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपड़ी कर, फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

करवाये तथा आवेदक ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये। उक्त एक सीलबन्द शीशी मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 16.10.2017 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें मावा सबस्टेण्डर्ड का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड मावा का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी पक्ष का नोटिस बाद तामील प्राप्त होने के उपरान्त भी उनकी तरफ से कोई उपस्थिति नहीं आया। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही ईकतरफा की जाकर प्रार्थी पक्ष की इकतरफा बहस सुनी गई ।

3. प्रार्थी पक्ष की ओर से श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उपस्थित होकर बहस में निवेदन किया कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से मावा का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में Milk Fat content of the finished product (on dry weight basis) Not less than 30.0 % की तुलना में 15.03 % पायी गई है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां मावा सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है जो धारा 28 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिस मावा का सेम्पल लिया गया था वह मावा अप्रार्थी के यहां पाया गया था । अप्रार्थी द्वारा उक्त मावा उत्पादन कर आम जनता को विक्रय करता है। पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur की रिर्पोट क्रमांक L.S./2134/Act/2017/2207 दिनांक 16.10.2017 संलग्न है। इस रिर्पोट के अनुसार अप्रार्थी के यहां पाया गया मावा Milk Fat content of the finished product (on dry weight basis) Not less than 30.0 % की तुलना में 15.03% पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने से सब–स्टेण्डर्ड का होना सावित होता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का मावा विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2)(ii) का उल्लंधन किया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रूपये 50,000/– अखरे पचास हजार रूपये की शास्ति आरोपित करते है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक 25–25 हजार शास्ति राशि अदा करेगें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

6. निर्णय आज दिनांक 14.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति राज्य अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक(ग्रामीण स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर वं अप्रार्थी पक्ष संख्या 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner